पुलिस हिरासत में मौत का मामला

अल्ताफ के शव के दूसरे पोस्टमार्टम का निर्देश

प्रयागराज, 11 फरवरी (भाषा)।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस हिरासत में मरने वाले अल्ताफ मियां के शव का दूसरा पोस्टमार्टम करने का गुरुवार को निर्देश दिया। अल्ताफ के पिता चांद मियां की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने एम्स को दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस चरण में याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया है कि वह पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ मियां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए एम्स दिल्ली में नए सिरे से पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुरोध किया है। अदालत ने कहा कि हम मृतक अल्ताफ के शव को कासगंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में निकालने और उसे सिलकर तत्काल दिल्ली स्थित एम्स भेजकर दूसरा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश देते हैं, जहां दिल्ली एम्स के चिकित्सकों की टीम की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और शव की तस्वीर भी परीक्षण के विभिन्न चरणों में ली जाएगी जिसे संरक्षित रखा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। अदालत ने कहा कि यह संपूर्ण कवायद आज से 10 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यह आदेश इसलिए पारित किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो फोटोग्राफ पेश किए हैं, उसमें मृतक अल्ताफ को पानी की एक पाइप से खुद को लटका हुआ दिखाया गया है, जो कि शौचालय से केवल तीन फुट ऊपर लगाया गया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध किया।

अदालत ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और शव की तस्वीर भी परीक्षण के विभिन्न चरणों में ली जाएगी जिसे संरक्षित रखा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। अदालत ने कहा कि यह संपूर्ण कवायद आज से 10 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

हास्य कलाकार फारूकी के खिलाफ अब तक आरोपपत्र पेश नहीं कर सकी पुलिस

इंदौर, 11 फरवरी (भाषा)।

हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी और अन्य लोगों के खिलाफ इंदौर में प्राथमिकी दर्ज होने को साल भर से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति के अभाव के कारण पुलिस जिला अदालत में अब तक आरोप पत्र पेश नहीं कर सकी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के तुकोगंज थाने में जनवरी, 2021 के दौरान दर्ज इस बहुचर्चित मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य) के तहत आरोप पत्र पेश किए जाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। तुकोगंज थाने के प्रभारी कमलेश शर्मा ने एजंसी से इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हमें फारुकी और मामले में आरोपित अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी अब तक नहीं मिली है। अदालत ने मुकदमे में अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुकदमे में अदालत में आरोप पत्र पेश करने की अनुमति के लिए इंदौर पुलिस की ओर से राज्य सरकार को 29 जनवरी, 2021 को पत्र भेजा गया था।

उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के हवाले से बताया कि भारतीय दंड विधान (आइपीसी) की धारा 295-ए के तहत दर्ज किसी मामले में अदालत में आरोप पत्र पेश किए जाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना कानूनन जरूरी है।

आरोप पत्र पेश नहीं होने से करीब साल भर से अटका मुकदमा।

पुलिस ने भाजपा की एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने के मामले में फारुकी और चार अन्य लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए तथा अन्य प्रावधानों के तहत एक जनवरी, 2021 की रात शहर के एक कैफे से गिरफ्तार किया था।

फिर से सभी ट्रेनों में मिलेगा पका हुआ भोजन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 फरवरी।

14 फरवरी से पहले की तरह सभी ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ खाना मिलेगा। वर्तमान में 80 फीसद ट्रेनों में ही यह सुविधा दी जा रही है। भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आइआरसीटीसी) ने कहा कि पूर्णबंदी में ढील को देखते हुए सभी ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिया जाएगा।

रेलवे बोर्ड के अनुसार ट्रेनों में भोजन की बहाली पूरी सावधानी और यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। वर्तमान में करीब 428 ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। आइआरसीटीसी के अनुसार कोरोना विषाणु में कमियों को देखते हुए 21 दिसंबर से ही करीब 30 फीसद और 22 जनवरी तक 80 फीसद पके हुए भोजन की सेवा की बहाली प्रारंभ कर दी गई थी। बाकी 20 फीसद 14 फरवरी तक बहाल कर दिया जाएगा। प्रीमियम ट्रेनों (राजधानी, शताब्दी, दुरंतो) में पका हुआ भोजन पहले ही 21 दिसंबर को बहाल कर दिया गया था।

23 मार्च, 2019 को कोरोना महामारी के कारण सुरक्षा उपायों को देखते हुए खान-पान सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। देश में कोविड के दरों में सकारात्मक गिरावट के साथ पांच अगस्त, 2020 से ट्रेनों में भोजन सेवा प्रारंभ की गई थी। महामारी को देखते हुए खान-पान की सुविधाओं में स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों को शामिल किया गया है।

23 मार्च, 2019 को कोरोना महामारी के कारण सुरक्षा उपायों को देखते हुए खान-पान सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोनः 011-41732000
फैक्सः 011-26230201
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

आज़ादी का अमृत महोत्सव

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टेण्डअलोन और समेकित) का सार

(करोड़ रुपए)

	विवरण	स्टेण्डअलोन परिणाम						समेकित परिणाम					
		31/12/2021 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	30/09/2021 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	31/12/2020 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	31/12/2021 को समाप्त अवधि (गैर लेखा-परीक्षित)	31/12/2020 को समाप्त अवधि (गैर लेखा-परीक्षित)	31/03/2021 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित)	31/12/2021 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	30/09/2021 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	31/12/2020 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	31/12/2021 को समाप्त अवधि (गैर लेखा-परीक्षित)	31/12/2020 को समाप्त अवधि (गैर लेखा-परीक्षित)	31/03/2021 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	100.75	106.38	400.97	432.76	1,543.34	1,396.92	284.18	373.01	610.12	1,057.08	2,084.95	2,093.81
2.	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(328.51)	(663.41)	(883.88)	(1,897.78)	(1,485.66)	(2,147.23)	(279.22)	(556.72)	(861.01)	(1,710.41)	(1,421.85)	(2,087.16)
3.	कर-पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(328.51)	(663.41)	(883.88)	(1,897.78)	(1,485.66)	(2,147.23)	(279.23)	(559.56)	(861.01)	(1,713.26)	(1,421.85)	(2,084.79)
4.	कर-पश्चात् अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(731.01)	(525.88)	(740.17)	(1,974.67)	(1,109.17)	(1,957.81)	(684.82)	(444.72)	(717.99)	(1,821.99)	(1,062.61)	(1,911.58)
5.	अवधि के लिए कुल समग्र आय {जिसमें अवधि के लिए (कर पश्चात्) लाभ/(हानि) तथा अन्य समग्र आय (कर पश्चात्) शामिल है}	(671.13)	(547.83)	(726.58)	(1,903.92)	(1,082.71)	(1,935.68)	(213.43)	(273.93)	(696.82)	(994.63)	(803.13)	(1,495.37)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,041.98	2,041.98	1,895.99	2,041.98	1,895.99	1,895.99	2,041.98	2,041.98	1,895.99	2,041.98	1,895.99	1,895.99
7.	अन्य इक्विटी (31 मार्च को वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	-	-	-	-	-	476.11	-	-	-	-	-	1,841.97
8.	प्रति शेयर अर्जन (अन्तरिम अवधियों के लिए गैर-वार्षिकीकृत):												
	(क) बेसिक (रुपए)	(3.58)	(2.58)	(3.90)	(9.67)	(5.85)	(10.33)	(3.46)	(2.37)	(3.84)	(9.27)	(5.73)	(10.24)
	(ख) डायल्यूटिड (रुपए)	(3.58)	(2.58)	(3.90)	(9.67)	(5.85)	(10.33)	(3.46)	(2.37)	(3.84)	(9.27)	(5.73)	(10.24)

टिप्पणियां:
1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई और इन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा 11 फरवरी, 2022 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया। ये परिणाम सांविधिक लेखा-परीक्षक, मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल की सीमित समीक्षा की शर्त के अधीन हैं।
2. उपर्युक्त विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है। परिणामों का सम्पूर्ण प्रपत्र स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (**www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com**) व कम्पनी की वेबसाइट **www.ifciltd.com** पर उपलब्ध है।
3. सेबी [सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएँ], विनियम 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित मदों के लिए, उचित प्रकटन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (**www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com**) व कम्पनी की वेबसाइट **www.ifciltd.com** पर किए गए हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता/-
(मनोज मित्तल)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 फरवरी, 2022

1948 से राष्ट्र के विकास में

zomato

Zomato Limited (formerly known as Zomato Private Limited and Zomato Media Private Limited)
CIN : L93030DL2010PLC198141
Registered office- Ground Floor, 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi- 110019, Delhi, India
Telephone- 011-40592373, **Email**- companysecretary@zomato.com, **Website**- www.zomato.com

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine month ended December 31, 2021

INR million

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine month ended		Year ended
		December 31, 2021	September 30, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income	12,597	11,610	6,373	33,373	13,676	21,184
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(3,830)	(4,403)	(1,184)	(11,664)	(3,562)	(4,904)
3	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(672)	(4,349)	(3,513)	(8,611)	(6,809)	(8,151)
4	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(672)	(4,349)	(3,526)	(8,628)	(6,822)	(8,164)
5	Total comprehensive loss for the period	(700)	(4,397)	(3,523)	(8,729)	(6,842)	(8,223)
6	Paid-up share capital	7,638.00	7,565.35	0.31	7,638.00	0.31	0.31
7	Other equity[1] as on March 31, 2021						76,438
8	Loss per share (INR)[2] (of INR 1 each)						
	(a) Basic	(0.08)	(0.59)	(0.64)	(1.20)	(1.34)	(1.51)
	(b) Diluted	(0.08)	(0.59)	(0.64)	(1.20)	(1.34)	(1.51)

1 The Company does not have any revaluation reserve.
2 EPS is not annualised for the quarter and nine month ended December 31, 2021, quarter ended September 30, 2021 and quarter and nine month ended December 31, 2021.

Notes

(a) **Exceptional items include:**

INR million

Particulars	Quarter ended			Nine month ended		Year ended
	December 31, 2021	September 30, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Fair value loss of contingent consideration on assignment of contracts	-	-	-	-	(918)	(918)
Fair value loss on financial instruments at fair value through profit or loss	-	-	(2,329)	-	(2,329)	(2,329)
Gain on sale /disposal of investment including foreign currency translation reserve on foreign subsidiaries sold / disposed off during the period	3,158	54	-	3,212	-	-
Loss on account of movements in foreign exchange rate in one of the Company's subsidiary operating in a hyperinflationary economy	-	-	-	(159)	-	-
Total	**3,158**	**54**	**(2,329)**	**3,053**	**(3,247)**	**(3,247)**

(b) **Standalone information**

INR million

Particulars	Quarter ended			Nine month ended		Year ended
	December 31, 2021	September 30, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited (i)	Unaudited	Unaudited (i)	Audited
Total income	10,863	10,321	5,570	29,467	11,932	18,458
Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(3,247)	(3,608)	(1,036)	(9,759)	(2,953)	(3,392)
Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(993)	(4,142)	(3,884)	(8,043)	(7,775)	(8,860)
Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(993)	(4,142)	(3,884)	(8,043)	(7,775)	(8,860)

(i) The unaudited standalone financial results for the quarter and nine month period ended December 31, 2020 have not been subjected to limited review/audit.

(c) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.zomato.com).

For and on behalf of the board of directors of Zomato Limited
(formerly known as Zomato Private Limited and Zomato Media Private Limited)

Sd/-
Deepinder Goyal
Managing Director and Chief Executive Officer
(DIN-02613583)

Date: February 10, 2022
Place: Gurugram

www.readwhere.com